

25.3.21 पत्रावली पेश हुई 3 समयपक्ष 3 पारित प्रतिवाणी सं
 6, 7, 9, 15 की ओर से अधिकांश का मूलवाद पत्र पेश
 हुआ। प्रतिवाणी सं. 4, 8, 9, 14 के सम्मन बाद तामिल
 होकर प्राप्त हुए जिसे शा. पत्र किये जाये। वास्ते पत्रावली
 में निपटी सं. 23, 6, 7, 15 के जवाब हेतु क्रियत दिनांक
 24.6.21 को पेश हो आगामी दिनांक तक जारी
 अर्थात् निषेधारा नदारद जाती है।

24-6-21 पत्रावली पेश हुई अधिभाषकण द्वारा
 न्यायिक कार्य रणन/बहिष्कार रखने
 से पत्रावली दिनांक 21 को पेश हो।
 पूर्व का आदेश प्रभावत रद्द है।

पुनः पत्रावली पेश की गई।
 न्यायिक कार्य से बाहर हैं। अदालत पर है / पदरिक्त है।
 अतः पत्रावली दिनांक 21.06.21 को पेश हो।
 पूर्व का आदेश प्रभावत रद्द है।
 रीडर
 उपखण्ड अधिकारी माण्डल

10/12/21 पत्रावली केम्प... को पेश हुई।
 आगामी दिनांक 21.12.21 को पेश हो।
 पूर्व का आदेश प्रभावत रद्द है।

20.1.22 पत्रावली पेश हुई अधिभाषकण द्वारा
 न्यायिक कार्य रणन/बहिष्कार रखने
 से पत्रावली दिनांक 19 को पेश हो।
 पूर्व का आदेश प्रभावत रद्द है।

19.5.22 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया अनुपस्थित,
 वकील विपक्षीगण उपस्थित। वकील विपक्षी सं.
 15 की ओर से जवाबदावा पेश किया जिसे शा.
 पत्र किया गया। वकील प्रार्थिया को कितनी मर्हबा
 कक-कक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी
 उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थिया के अनुपस्थित रहने से
 प्रार्थिया का प्रा. पत्र अदम हाजरी/अदम पैखी में
 स्वारीज किया जाता है। पत्रावली फंसल सुमार
 होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
 माण्डल जिला भीलवाड़ा